LOK ASTHA SEWA SANSTHA

ANNUAL REPORT

YEAR 2023-24

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN

DARRAPARA(KESHODAR) GARIYABAND

Contents

संस्था का संक्षिप्त परिचय :- 3

महिला सशक्तिकरण पर गतिविधिया 3

महिला और जमीन से रिश्ता पर महिलायों की क्षमतावर्धन कार्य 4

महिलायों के प्रति स्थानीय समितियों को संवेदनशील बनाना 4

महिला मुखिया का एस्पोसर विजिट – 5

घरेलु महिला हिंसा में कमी लाने कार्य :- 5

जिला स्तरीय महिला मंच सम्मेलन :- 5

महिलायों को अपनी आवाज को रखने हेतु मंच प्रदान करवाना 6

लैंगिक समानता पर क्षमता विकास प्रशिक्षण – 7

महिला किसान फोरम 7

नियम कानून की समझ हेतु स्कुल /कालेज में सेसन 7

जलवायु परिवर्तन की दृष्टीकोण से कार्य 8

जनजाति की जानकारी – 9

खेल के माध्यम से महिलायों एवं किशोरियों को गतिविधि में जोड़ना 9

चाईल्ड लाईन 1098 का प्रचार –प्रसार :- 10

बच्चो की शिक्षा व पोषण पर कार्य 11

सायबर अपराध के बारे में जागरूकता 11

PVTG समुदाय में महिलायों की भागीदारी पर जोर देना 11

PVTG समुदाय के यूथ को टेक्नोलाजी पर समझ विकसित करना 11

अन्य संस्थायो के साथ नेटवर्किंग मीटिंग – 12

विभिन्न सरकारी विकास योजनायो लाभान्वित करने हेतु सहयोग करना 12

जिला स्तर पर बने विभिन्न कमेटियो में लोक आस्था सेवा संस्थान के साथियों को शामिल किया गया है 13

FINANCIAL STATEMENT 14

LASS

संस्था का संक्षिप्त परिचय :-

इस संस्था का निर्माण स्थानीय युवा साथियों द्वारा जो सामाजिक विचारधारा से जुड़े उन साथियों द्वारा लोक आस्था सेवा संस्थान का सन 2005 में निर्माण किया गया। जिसका रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर 2006 को छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 (सन 1973 का क्र. 44) के अधिन पंजीकृत स्वेच्छिक संगठन है। यह संस्था एक गैर लाभकारी, गैर राजनीति, व गैर धार्मिक प्रकृति की संस्था है। जो समाज में बदलाव लाने की दिशा में अपने स्वप्न व उद्देश्य के साथ इस वर्ष महिला सशक्तिकरण व बालकल्याण के मुद्दे के अंतर्गत – बच्चो के सभी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय की समझ विकसित करना वी प्रेरित करना, महिलायों की प्रत्येक कार्य में निर्णय भूमिका में लाने हेतु समझ विकसित करना, पंचायतराज सशक्तिकरण –ग्रामसभा को सशक्त बनाने के लिए समझ विकसित करना, भोजन पर अधिकार, शिक्षा व स्वाश्थ्य के अधिकार पर जागरूकता के अंतर्गत – शिक्षा के अधिकार कानून की क्रियान्वयन की मजबूतीकरण के समुदाय की भागीदारी व विभाग के साथ संवाद तथा समाज में व्याप्त कुरूतियो को दूर करते हुए जेंडर समानता की दिशा में कार्य करना, महिला एवं बच्चो के स्वाश्थ्य, रोजगार गारंटी अधिनियम पर जागरूकता, व अन्य शासकीय योजनायो के बारे में जागरूकता करना व अन्य सामाजिक मुद्दे को लेकर कार्य कर रहे है।

स्वप्न :-

एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो शोसन मुक्त, समता मूलक, सामाजिक न्याय आधारित हो जिसमे जाति, रंग, भाषा, संस्कृति व लिंग भेद आधारित ना हो, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से समान अधिकार व सम्मान पूर्वक जीवन बसर कर सके तथा प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा हो।

उद्देश्य :-

1. समाज के कमजोर वंचित व पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में बदलाव लाने हेतु शिक्षा, स्वाश्थ्य, कृषि, रोजगार, कृषि, रोजगार व आय उपार्जन के विभिन्न कर्योक्रमो को प्रोत्साहित करना।
2. सर्वांगीन महिला विकास व बाल कल्याण के जनशिक्षा
3. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन हेतु लोगो को जागरूक करना।
4. राष्ट्रीय सामाजिक विकास योजनायो एवं जनकल्याण कार्यक्रमों को लोगो के अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करना।
5. आंचलिक संसाधनों पर आधारित कुटीर उद्यमता विकास से स्वावलंबन की खोज एवं प्रशिक्षण

लोक आस्था सेवा संस्थान का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छ. ग. राज्य है जो निम्नांकित क्षेत्र में कार्यरत है, आदिम जनजाति, आदिवासी, दलित व अंतिम पिछड़े वर्ग के साथ कार्य कर रही है। गरियाबंद जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में कार्यरत है।

वर्ष 2023-24 में संस्था द्वारा किये गए गतिविधि एवं उपलब्धियां

महिला सशक्तिकरण पर गतिविधिया

लोक आस्था सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत लम्बे समय से कार्य कर रही है और महिला सश्कातिकरण की दिशा में कार्य करने हेतु अवार्ड भी प्राप्त किया है। महिलायों एवं किशोरियों को आगे लाने अपनी आवाज को मंच के माध्यम से निकालने के लिए कार्य किये जा रहे है। कई रुढ़िवादी को तोड़ने का कार्य, समानता के लिए नेत्रित्व करने, क्षमता वर्धन करने का कार्य किया गया है जिसे हम विस्तृत से समझ सकते है –

महिला और जमीन से रिश्ता पर महिलायों की क्षमतावर्धन कार्य

इस पुरुष प्रधान समाज में भूमि को हमेशा से पुरुषो की नजरिये से देखते है लेकिन जमीन पर कार्य करने में महिलाये कभी पीछे नहीं रही है। खेती कार्यो में सभी कार्य महिलायों के द्वारा सामान रूप से कार्य की जाती है लेकिन जमीन पर नाम पुरुषो का होता है। इसी दृष्टीकोण को सामने रखते हुए नजरिये में बदलाव के लिए महिलायों की क्षमता वर्धन किया गया। जब जमीन की बिक्री भी होती है तो पुरुषो के द्वारा ही जमीन की बिक्री जी गयी है क्योकि महिलायों का नाम नहीं होने से उनकी पूछ परख भी नहीं होती है। महिला हमेशा से भूमि /जमीन से रिश्ता रखता है और उनके साथ आत्मीय रूप से जुडाव रहता है।

एक अध्ययन से भी जानकारी प्राप्त हुआ कि महिलायों के नाम पर 10% ही जमीन है बाकि 90% पुरुषो के नाम है, जब अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2005 नियम 2006 व 2007 संसोधित 2012 , इसके अंतर्गत भी वर्षो से कबिज जमीन का अधिकार पत्र पुरुषो के नाम पर ही दावा कर अधिकार पत्र प्रदान किया गया। यह अनुभव किया गया है कि समाज में समानता के लिए महिलायों एवं पुरुषो दोनों के नाम पर सामान रूप से भूमि हो। इसके लिए समाज में महिलायों एवं पुरुषो के साथ सोंच में बदलाव लाने के लिए कार्य किया जा रहा है।

संस्थान इस दो वर्षो में एक सोंच में बदलाव लाया गया तथा इसके बाद वनाधिकार के अंतर्गत महिलायों के नाम पर दावा फार्म भी भरा जा रहा है। समाज को भी सुरुवात में महिलायों के नाम पर जमीन चुनौती था क्योकि जमीन को हमेशा से पुरुषो से ही जोड़कर देखा गया है। एक सोंच भी बना हुआ जिसे तोड़ने की कोशिस किया गया।

महिलायों को जमीन से रिश्ता पर अलग अलग प्रशिक्षण व कार्यशाला के माध्यम से सक्षम बनाने का प्रयास किया गया जिसमे दस्तावेज के बारे में जानकारी, विभाग के बारे में जानकरी देना , जिससे उनकी हौसला पड़ता गया , इस कार्य में पुरुषो का भी बहुत ही योगदान रहा है। रिपोर्ट के लिखे जाने तक 12 गाँव के 556 महिलायों ने अपने नाम पर दावा फार्म जमा कर चुके है जिससे उनकी जो जमीन की साथ रिश्ता है वह अधिकार पत्र में सुनिश्चित हो सके।

महिलायों के प्रति स्थानीय समितियों को संवेदनशील बनाना

महिला एवं भूमि की रिश्ता तथा महिलायों के नाम पर जमीन के बारे में स्थानीय समिति जैसे ***FRC*** (***Forest Right Commeety***) , ***PRI*** (***Pancayat Raj institute***) को महिलायों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उनके साथ प्रशिक्षण / कार्यशाला आयोजित किया गया। अनुसूचितजन जाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी अधिनियम के अंतर्गत ***FRC*** व ***PRI*** सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है , जिसके कारण उन्हें इस पुरुषप्रधान समाज में महिलायों के प्रति जमीन को जोड़ने के लिए सोंच में परिवर्तन किया गया। जिससे वे सभी महिलायों को जमीन / भूमि अधिकार पर सपोर्ट किये। यदि हम शुरुवात की बात करे तो बहुत ही चुनौती का सामना करना पड़ा क्योकि बहुत से गाँव में समिति का सदस्यों को ही पता नहीं था , 12 गाँव में समिति को पुनर्गठित किया गया जिसमे महिलायों की भूमिका को भी सुनिश्चित किया गया जिससे महिलायों को भूमि से जोड़ा जा सके। संवेदनशील होने के बाद –465 फार्म को वनाधिकार समिति से प्रस्ताव कर ग्रामसभा में प्रेषित किया गया।

महिला मुखिया का एस्पोसर विजिट –

PVTG महिला मुखिया का जिला स्तर पर विभिन्न विभाग स्तर पर एक्सपोसर कराया गया , क्योकि महिलाये कभी विभाग तक पहुँच नहीं बनाया है , वे विभाग के बारे में जानते भी नहीं है , कार्यालय सुनकर ही वेडर जाते है , इस कारण से कार्यालय में भ्रमण कराना अनिवार्य था , इस भ्रमण से उन्हें ताकत मिली , क्योकि सभी विभाग के अधिकारियो के द्वारा उन सभी से सहानुभूति पूर्वक बातचीत किये । विभाग के द्वारा योजनायो का लाभ भी प्राप्त हुए जिससे महिलायों में एक उत्साह भी बढ़ा है । ।

घरेलु महिला हिंसा में कमी लाने कार्य : –

संस्थान विभाग के साथ 2014 से महिला घरेलु हिंसा पर कार्य करती आ रही है तथा 181 का प्रचार – प्रसार भी किया गया । विभाग के साथ मिलकर जिला स्तर में सखी वन स्टाफ सेंटर (181) की प्रचार हेतु पोस्टर प्रिंटिंग किया गया , जिससे प्रत्येक आंगनबाड़ी तक जानकारी पहुँच बन सके इसके लिए पोस्टर का विभाग के माध्यम से उपयोग किया गया । अब महिला घरेलु हिंसा के केसेस विभाग तक पहुँच रहे है । पूर्व में संस्थान के पास ही केसेस आते थे जिसे सखी में रिफर किया करते थे ,लेकिन अब सीधे सखी ही ज्यादातर रिफर किया जाता है । कुल केसेस की जानकारी जो सीधे संस्थान में रजिस्टर हुए और केसेस को हल व सखी में रिफर किया गया ।

Total cases		Total cases resolved through 1 to 3 time counselling	Total cases referred to Sakhi centre	Total cases converted into DIR	Total cases FIR Registered
Registered	Resolved				
10	08	10	02	02	02

सखी वन स्टाफ सेंटर गरियाबंद में वर्ष 2023 -24 में कुल 304 केसेस प्राप्त हुए है ।

जिला स्तरीय महिला मंच सम्मेलन : –

गरियाबंद के ह्रदय स्थल गाँधी मैदान में दिनांक 5 मार्च 2024 को अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय महिला मंच सम्मेलन का आयोजन किया जिसमे जिला से 458 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

 LOK ASTHA SEWA SANSTHA

इस कार्यक्रम में जिला स्तर के नगरपालिका के अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति रही , इनके द्वारा महिलायों को आगे आने तथा विभिन्न योजनायो से जुड़कर समाज में समानता के साथ साथ मिलकर चलने हेतु प्रेरित किये । सखी वन स्टाफ सेंटर, जिला महिला संरक्षण अधिकारी ने भाग लेकर महिलायों को उद्बोधन दिए ।

हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Raipur Ratan Bhoomi - 06 Mar 2024 - Page 3

आयोजन: महिला दिवस के उपलक्ष्य में संगवारी महिलाओं का सम्मेलन

महिलाओं को अपने हक, सम्मान व समानता लाने के लिए आगे आकर आवाज बुलंद करनी होगी : लता

हरिभूमि न्यूज ▶▶| गरियाबंद

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संगवारी महिलाओं का सम्मेलन का आयोजन संगवारी महिला मंच एवं लोक आस्था सेवा संस्थान के सयुक्त तत्वधान में मंगलवार को गांधी मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगवारी महिला मंच के मुखिया एवं सस्था के अध्यक्ष व सचिव के द्वारा भारत माता की छायाचित्र पर पुष्पगुच्छ अर्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद संस्था के अध्यक्ष हेमानारायण मानिकपुरी के अपने उद्बोधन में कहा कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्तर पर यह कार्यक्रम मनाने का अवसर मिला है, ज्ञात हो कि काफी संघर्ष के बाद यह उत्सव मानने के लिए अवसर मिला है तब से मनाते आ रहे है । आज भी महिलाएं अपनी अधिकार एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए संघर्षरत है, लोक आस्था इसी उद्देश्य को लेकर काम रही है, ताकि समाज में सभी को समान अधिकार मिल सकें। लता नेताम संस्थान के सचिव ने सभी महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं को अपने हक सम्मान व समानता लाने के लिए आगे आकर आवाज बुलंद करना होगा। महिलाओं के ऊपर दोहरी बोझ होती है, सामाजिक बंधन में जकड़े होने के कारण बहुत सारे दिक्कतो का सामना करना पड़ती, फिर भी हार नहीं मानते हुए परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ रही है। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष कार्यक्रम गांव व पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर में हर वर्ष मानते है।

आज महिलाएं किसी से कम नहीं है

तत्पश्चत लालिमा पारस ठाकुर अध्यक्ष जनपद पंचायत गरियाबंद ने कहा की महिलाओं को घर से बाहर निकलकर अपने अधिकार को लेना होगा। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मो. अब्दुल गफ्फार मेमन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् गरियाबंद ने अपने वक्तव्य में कहा की आज महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार मिले इसके लिए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए हर क्षेत्र में बढ़ रही है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह नहीं करने एवं बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में अनिल चंद्रकार जिला महामंत्री गरियाबंद, सुरेंद्र सोनटेके उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद् गरियाबंद, प्रवीण यादव उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गरियाबंद, धनंजय नेताम पूर्व सरपंच पारागांव उपस्थित थे । संगवारी महिला मंच के सदस्य देवकी बाई, दशमति नागेश, भूमिका कौशिक, सेवती बाई, खुमेश्वरी नायक ने मंच के मध्यम से अपनी संघर्ष की कहानी को बताते हुए महिलाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम के बीच बीच में बच्चो के द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में महिला संरक्षण अधिकारी लता पटेल एवं सखी वन स्टाप सेंटर से रेवती यादव ने महिला कानून के बारे में जानकारी दिया। मंच में उपस्थित सभी स्थितियों को संस्था के द्वारा श्री फल भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में महिलायों ने अपनी संघर्ष की कहानी बताये जिससे अन्य महिलायों को प्रेरणा मिली । महिलायों के अपनी समस्यायों पर SMM के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन भी दिए ।

महिलायों को अपनी आवाज को रखने हेतु मंच प्रदान करवाना

संस्थान आदिवासी व आदिमजन जाति समुदाय के साथ कार्य कर रही है , जो अपनी बातो को रखने हेतु झिझक, डर महसूस करते है । इसके लिए छुरा में 4 व गरियाबंद ब्लाक में 2 कलस्टर में गाँव को विभाजित कर एक मंच प्रदान करने का कार्य किया गया । जहाँ पर अपने – अपने कलस्टर में वह खुलकर अपनी आवाज को रख सके । इस प्रक्रिया से महिलाये अपनी आवाज / समस्या को अपने मंच में रख पा रहे है और SMM के सहयोग से वे मिलकर समस्यायों को हल भी कर रहे है ।

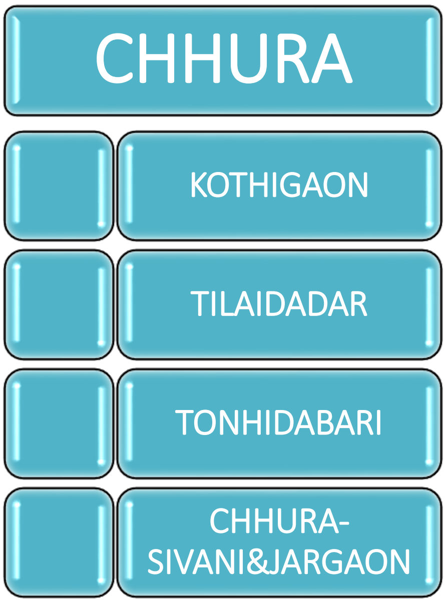

लैंगिक समानता पर क्षमता विकास प्रशिक्षण –

समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । इस पुरुष प्रधान समाज की नजरिये को बदलने की जरुरत है जिसमे अहम् भूमिका किशोरी एवं महिलायों की है , इस असमानता में समाज में कई प्रकार के रुढ़िवादी भी व्याप्त है जिससे महिलायों को जकड़ने का भी प्रयास किया जाता है , इन्ही सभी बिंदु पर 117 महिलायों का समझ विकसित किया गया जो महिला नेत्रित्व के भूमिका में आकर अन्य महिलायों को भी कलस्टर के माध्यम से क्षमता विकास का कार्य किया गया । जिससे महिलायों के द्वारा अपने परिवार समाज में समानता लाने के लिए कार्य किये जा रहे है । ----- महिलायों के घर में बदलाव देखने को मिल रहे है , घर के कार्यो में अब लड़का लड़की दोनों सामान रूप से कार्य कर रहे है । महिलाये भी अब स्वं होकर निर्णय प्रक्रिया में आगे आये है ।

महिला किसान फोरम

महिला एवं भूमि से रिश्ता को लेकर महिलायों के द्वारा भूमि पर दावा किया जा रहा है जो वर्षो से काबिज कर परिवार का जीवकोपार्जन कर रहे है । लेकिन महिलायों के नाम पर जमीन नहीं है फिर भी वे जमीन/ भूमि के साथ उनकी रिश्ता वर्षो से है , इसे लेकर जिला स्तर पर महिलायों के लिए भूमि पर आने वाले दिक्कतों के हल के लिए व सहयोग करने के लिए जिला स्तर पर महिला किसान फोरम का गठन किया गया जिसमे 15 जिला स्तर पर मुखिया की भूमिका में है तथा यह SMM के नेत्रित्व में कार्य कर रही है ।

नियम कानून की समझ हेतु स्कुल /कालेज में सेसन –

स्कुल एवं कालेज यूथ के लिए वह पड़ाव है जिसमे वह सीखते है और उन्ही दिशा में अग्रसर होते भी है , समझ नहीं होने से विभिन्न दिशा में चले जाते है । इस उम्र के यूथ का सोंच हमेशा खोजने के प्रक्रिया में भी होते है । 10 स्कुल /कालेज में कुल 742 बच्चो तक पहुँच बनाया गया जिसमे पोस्को एक्ट, बाल विवाह कानून, सायबर अपराध, महिला घरेलु हिंसा कानून, बाल अधिकार के बारे में प्रोजेक्टर से फिल्म व अन्य

पोस्टर पाम्पलेट के माध्यम से समझ बनाया गया और समाज में बदलाव की दिशा में प्रेरित किया गया जिससे नये समाज की निर्माण हो सके |

जलवायु परिवर्तन की दृष्टीकोण से कार्य

महिलायों की आजीविका सुनिश्चित करने हेतु जोड़ना :-

SMM महिलायों को कोदो (मिलेट फ़ूड) कोदो की खेती से स्वास्थ्य के लिए फायदा की कांसेप्ट पर प्रथम स्थान में आया जिस पर SMM महिलायों को इनाम व शील्ड भी प्राप्त किये है | महिलायों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए NRLM के साथ जोड़ा गया तथा SMM की महिलायों के द्वारा कोदो की खेती किया जा रहा है , जिससे जलवायु परिवर्तन की दृष्टी से खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है |

भुंजिया महिलायों के द्वारा कोदो की खेती

NRLM के महिलायों के साथ मीटिंग करके जमीन से जोड़ते हुए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि जहाँ पर खेती नहीं किया जा रहा था उस जमीन पर खेती के लिए प्रेरित किया गया है |

विभाग के साथ भी इसके लिए समन्वय बनाया गया और मोटे अनाज (कोदो , माडिया व अन्य दलहन) तथा सब्जी बीज की खेती हेतु बीज के लिए बातचीत किया गया है |

गौसेवा पर कार्य तथा जैविक खाद एवं जैविक दवा निर्माण पर कार्य –

संस्थान के प्रमुख द्वारा गौसेवा के अंतर्गत अपने परिवार में 5 गाय के साथ जो कि उसे अन्यत्र जगह से लाया गया | जहाँ पर संस्थान के सदस्यों के द्वारा गौसेवा के लिए कैसे रखरखाव किया जा सकता है | पशुविभाग के सहयोग लेकर हम कैसे अच्छे नस्ल के लिए कार्य कर सकते है जिससे दूध की उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके | नस्ल सुधार कार्य के लिए भी प्रेरित किया गया | कोठा में जहाँ पर गाय की निवास होती है वहां पर कैसे स्वक्छता होनी चाहिए इस पर जानकारी प्रदान करती रहती थी | गाय के चारा की व्यस्था कैसे कर सकते किस प्रकार चारा का निर्माण किया जा सकता है , गाय की स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते है इस पर प्रेरित किया गया | गाय से होनी वाली फायदे के बारे में जानकारी दिया गया |

दूसरा यह कि आज वर्तमान समय में खेती भी रासायनिक युक्त हो रहे जिससे मानव जीवन की स्वास्थ्य पर असर हो रहे है | हम गौ पालन कर उससे मिलने वाली गोबर से गौ मूत्र से जैविक खाद का निर्माण कर सकते है , जैविक दवा का निर्माण कर सकते है जो खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है | मृदा के स्वास्थ्य के लिए भी आज की वर्तमान परिश्थिति को देखते हुए महत महत्वपूर्ण हो गया है | आज पुरे विश्व जलवायु परिवर्तन से

जूझ रहे है इस परिस्थिति से निकलने के लिए गौ पालन और उससे मिलने वाली गोबर ,गौ मूत्र का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया |

जनजाति की जानकारी –

लोक आस्था सेवा संस्थान विशेष समुदाय भुंजिया जनजाति के साथ भी कार्य कर रही है , इस जनजाति की अलग संस्कृति, रीतिरिवाज , परम्पराए है । इस समाज की बच्चो की जन्म ले लेकर विवाह और मृत्यु तक अलग तरह से रिवाजे होती है । कम उम्र में ही बच्चो का तीर -कमान के साथ कांडा विवाह कर दिया जाता है तभी मुख्य विवाह होती है , विवाह के बाद बाह्य खाद्य पदार्थ को खाने से वर्जित हो जाती है । महिलाये बाहर भी ज्यादा नहीं जाते है । इस जनजाति का रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है , यहाँ पर अन्य समुदाय के लोगो को जाना वर्जित है यदि कोई धोखे से चले भी जाये तो उन्हें जलाकर दुसरे लाल बंगला का निर्माण करते है । इस जनजाति की कहानी बहुत ही रोचक भी है ,लेकिन इसके साथ ही विकास योजनायो से वंचित भी है , छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 10603 है जो कि गरियाबंद जिले में है इसके उत्थान के लिए संस्थान प्रयासरत है । इसके साथ कार्य करना बहुत ही संवेदनशील होकर कार्य करने की जरुरत है क्योकि हम उनकी संस्कृति, रीती रिवाज को ध्यान रखकर कार्य करनी होती है ।

सागर ने कस्टमरी ला के बारे में भी दी जानकारी

महिलाओं को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

हरिभूमि न्यूज ▸▸| गरियाबंद

लोक आस्था सेवा संस्थान के द्वारा महिला मुखियाओं का कानूनी प्रशिक्षण होटल सिटी रेंजेसी में आयोजित किया गया। जिसमें छुरा व गरियाबंद ब्लॉक के संगवारी महिला मंच के 100 मुखिया शामिल हुये, जिसमें संस्था अध्यक्ष व सचिव के द्वारा महिलाओं को संवैधानिक कानून के अंतर्गत खेती को लेकर जो महिलाओं लगाव है वहां मां और बच्चे के लगाव के समान भुमि से होता है। इस बारे में कानूनी जानकारी प्रदान किया गया। जिससे महिलायों को सुरक्षा, आजीविका प्राप्त होता हो, भुमि से संबंधित कानुन के साथ ही महिलाओं को महिला हिंसा के विरुद्ध कानून आई पी सी -498 के तहत महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज निषेध कानून 1961 व टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005, महिलाओं की पुलिस गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी, खाद्य सुरक्षा अधियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम और विभिन्न योजनाओं से संबंधित कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। जिससे महिलाओं को कानूनी समझ बन सके और समाज में समानता आ सके, समाज प्रमुख उदेराम भुंजिया, राजाराम, सागर के द्वारा कस्टमरी ला के बारे में भी बताया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समन्व्यक निसार, अरुण, महेंद्र,तथा संस्था स्टाफ भरत, अनिल, रूखमणी, उर्वशी, कुंती, तेजश्वनी शामिल रहे।

खेल के माध्यम से महिलायों एवं किशोरियों को गतिविधि में जोड़ना

– गरियाबंद जिला के छुरा गरियाबंद ब्लाक में 4 खेल उत्सव का कार्यक्रम किया गया जिसमे कुल 931 महिलायों एवं किशोरियों का भागीदारी रही । इस खेल के माध्यम से महिलायों एवं किशोरियों को निकाला गया और समाज में व्याप्त कई रुदियोवादी को उत्साह में आकर तोडा गया महिलायों एवं किशोरी के लिए एक बंधन के रूप में वर्षो से व्याप्त था ।

लोक आस्था सेवा संस्थान द्वारा खेल उत्सव का आयोजन

समवेत शिखर संवाददाता

गरियाबंद। पीएचएफ के सहयोग से लोक आस्था सेवा संस्थान व संगवारी महिला मंच के संयुक्त तत्वधान में तिलाईदादर नयापारा कलस्टर के अंतर्गत महिलाओं और किशोरियों का खेल उत्सव कार्यक्रम ग्राम कछार डीही में आयोजित किया गया।

जिसमे महिलाओं का कबड्डी और कुर्सी दौड़ और गुब्बारा दौड़ रखा गया।जिसमे कबड्डी में कछार डीही प्रथम रही कुर्सी दौड़ में चैतीनबाई प्रथम और गेंदीबाई दित्तीय स्थान पर रही संस्था अध्यक्ष हेमनारायण मानिकपुरी ने कहा कि इस तरह का खेल का आयोजन होते रहना चाहिए जिससे महिलाओं को आगे आने में प्रोत्साहन मिल सके और आगे बढ़ सके।इस तरह के खेल का आयोजन संस्था बहुत दिनो से करते आ रही है।इसके बाद संस्था सचिव लता नेताम ने बताया कि कबड्डी का खेल पुरुषों का ही माना जाता था जिसे हम महिलाओं ने खेल कर साबित किया है।महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने की जरूरत है और अपने अधिकार और हक के लिए आगे आने की जरूरत है तभी समाज में समानता आएगी और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना है।जिसमे गांव के शिक्षक गण पुरषोत्तम यादव झम्मन लाल कंवर जी का भी सहयोग रहा।

इस कबड्डी खेल को समाज मर्दानगी के रूप में देखते है , जब महिलाये इस खेल को साड़ी पहन कर खेलती है तो उस समय अलग ही ताकत महिलायों में देखने को मिलते है । जब खेल के लिए मैदान में उतरती है तो सभी रिवाजो , परम्परयो को नजरंदाज करते हुए उनके पास सिर्फ खेल भावना आ जाती है , खेल एक अवसर भी प्रदान करती है , अपनी ताकत, आवाज को आगे लाने के लिए । इस खेल को देखकर पुरुष कभी शांत नहीं बैठते थे उसमे भी खेलने की भावना उत्पन्न होते थे और महिलायों को खूब सपोर्ट करते जिससे महिलायों एवं किशोरियों की हौसला भी बड़ते गए । इस खेल के माध्यम से महिलायों एवं किशोरियों को घर , समाज से निकाल कर **SMM** में जोड़ा गया ।

बच्चो के अधिकार पर कार्य

चाईल्ड लाईन 1098 का प्रचार –प्रसार :-

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का चाईल्ड लाईन इण्डिया फाउन्डेशन के सहयोग से गरियाबंद जिला में चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 का संचालन किया जा रहा है । इस निःशुल्क काल 1098 का जिला में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना तथा जरूरतमंद बच्चो की देखरेख व सरंक्षण हेतु कार्य करना , 1098 से तथा आउटरिच के माध्यम से प्राप्त केसेस में इन्टरवेंसन कर बच्चो को सुरक्षा प्रदान करना । इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम करना – जागरूकता अभियान, ओपनहाउस कार्यक्रम, आईसीपीएस ,पुलिस, व अन्य विभाग के साथ समन्वय के माध्यम से कार्य किया गया है ।

1098 के माध्यम से डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रूप से बच्चो के मुद्दे पर 253 केसेस दर्ज किया गया , जिसे टीम व विभागीय समन्वय से हल/ लाभान्वित किया गया ।

स्कुलो में बच्चो की विचार को लाने हेतु खुलामंच कार्यक्रम –

यह कार्यक्रम बच्चो के मन में चल रहे विचार को रखने , उनकी आवाज को मंच तक रखने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे 5 स्कुल में 205 बच्चो के साथ यह कार्यक्रम किया गया । इस कार्यक्रम में स्कुल टीचर, पालक, स्टेकहोल्डर, बच्चे, माता पिता शामिल होते है । कार्यक्रम में बच्चो का विभिन्न गतिविधि होते जैसे पेंटिंग, रंगोली, नृत्य, खेल , इस प्रकार इस कार्यक्रम को बच्चो के अनुरूप मनोरंजक बनाया जाता है और बच्चो से उनकी विचार जानने का भी प्रयास किया जाता है जिससे केसेस प्राप्त हो सके । इस प्रकार कुल 11 खुला मंच कार्यक्रम किया गया जिससे 21 केसेस प्राप्त हुआ ।

बच्चो की शिक्षा व पोषण पर कार्य

जिला गरियाबंद में बच्चो की शिक्षा व पोषण को लेकर कार्य किया गया, जिसमे आदिवासी समुदाय से जो बच्चे पड़ने में दिक्कत हो रहे थे, कुछ कारण से बच्चो को स्कुल में भर्ती नहीं कर रहे थे जिससे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे थे , ऐसे बच्चो को विभाग के साथ समन्वय बनाकर 12 बच्चो को स्कुल व हास्टल में भर्ती किया गया | आंगनबाड़ी के साथ कार्य कर ऐसे बच्चे जो स्वास्थ्य व पोषण से गंभीर हालत में थे ऐसे बच्चो के परिवार के साथ समझ बनाकर उनकी समझ बनाया गया | NRC के महत्व को बता कर तथा स्वास्थ्य पोषण पर समझाकर ऐसे 10 बच्चो को स्वाश्थ्य पोषण के अंतर्गत NRC भर्ती कराया गया जिससे बच्चे की ग्रोथ में सुधार आया और माता को वापसी के समय मजदूरी राशी भी प्राप्त हुए और द्वितीय चेक अप के लिए भी लाया गया |

सायबर अपराध के बारे में जागरूकता –

वर्तमान में बच्चे किसी न किसी तरह से मोबाईल से जुड़ जाते है और माता पिता को इतना पता भी नहीं होता है कि बच्चा मोबिईल में क्या कर रहे है | जिस कारण से बच्चे गेम खेलने लगते है और वह धीरे धीरे गेम की नसे में चले जाते है , माता पिता को भी सायबर अपराध के बारे में जानकारी नहीं से भी वे बच्चे को कुछ नहीं कर पाते है | छोटे छोटे समूह में , ग्राम स्तर पर बैठक के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता लाया जा रहा है जिससे बच्चे इस सायबर अपराध में न फंसे | सभी अभिभावक को सतर्क होने की जरुरत है यदि बच्चो के मोबाईल के बारे में पता नहीं लगायेंगे तो वे आनलाईन गेमिंग के जरिये फंसते जाते है और कई सोशल मिडिया के माध्यम से भी विभिन्न तरह के ठगी भी होने की सम्भावना बढ़ जाती है | इसलिए समाज में बच्चो को सायबर अपराध से दूर रहने के लिए जागरूकता लाने की जरुरत है और अन्य लोगो को भी जागरूक करने की जरुरत है , इसके लिए समाज में जागरूक करने का प्रयास किया गया |

PVTG समुदाय में महिलायों की भागीदारी पर जोर देना

PVTG (Primitive volenerable Tribe Group) के अंतर्गत गरियाबंद जिला में कमार एवं भुंजिया जनजाति समुदाय के लोग निवासरत है | यदि भुंजिया जनजाति की बात करे तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसँख्या 10603 है जो कि गरियाबंद जिले में 6973 लोग निवासरत है उसमे से महिला की जनसंक्या 3554 है उनकी परिवार संख्या गरियाबंद जिला में 1559 है | सबसे ज्यादा गरियाबंद ब्लाक में भुंजिया जनजाति निवासरत है | इस समुदाय में महिलायों एवं किशोरियों के लिए कई सारे परम्पराए है , रीतिरिवाज है जिससे महिलायों एवं किशोरियों के लिए बहुत सारे बंधने है | इस बन्धनों के कारण अन्य महिलायों एवं किशोरियों की तरह खान-पान, पहनावा, रहन-सहन नहीं कर पाते है | ऐसे महिलायों को आगे लाने , समाज में महिलायों की भूमिका , भागीदारी में बढ़ोतरी किया जा रहा है |

PVTG समुदाय के यूथ को टेक्नोलाजी पर समझ विकसित करना

समाज प्रमुखों के साथ कई बार बैठक करने के बाद उनके बहुत सारे मुद्दे निकल कर आये | जिसमे बच्चो की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, योजनायो का लाभ से वंचित के मुद्दे निकल कर आये तो इस पर अपने समाज की

एक कलस्टर की सर्वे के बारे में सोंच बना । अपने समाज की सर्वे के लिए यूथ लोगो के माध्यम से करने के लिए तय किया गया तथा तथा यूथ लोगो को अपने ही समुदाय की सर्वे कार्य के लिए नई टेक्नोलाजी **Kobocollect Too**का प्रशिक्षण देकर सर्वे कार्य कराया गया । सर्वे कार्य करने की शुरुवात करने मात्र से विभाग तक जानकरी पहुँच गयी और भुंजिया समुदाय की समस्यायों को निराकरण करने के लिए विभिन्न जगहों पर शिविर भी लगा । यूथ लोगो को सवे में बहुत कुछ सिखने को मिला और वह इंज्वाय भी किये । सर्वे से एक रिपोर्ट भी बनाकर समस्या को विभाग तक रखकर विकास के लिए योजना बनाने में सहायता के लिए जरुरी था ।

कार्यकर्ता क्षमता विकास प्रशिक्षण

संस्थान के सभी स्टाफ का प्रतिमाह बैठक किया जाता है जिसमे अलग अलग मुद्दे पर क्षमता बढ़ाने के कार्य किया जाता है । जिसमे महिला अधिकार , भूमि अधिकार कानून, पाक्सो एक्ट, बाल अधिकार , सायबर अपराध, मनरेगा कानून, पेशा कानून, जेंडर समानता, आजीविका के मुद्दे , जलवायु परिवर्तन , सरकारी विकास योजनायो तथा परियोजनागत मुद्दे पर पर क्षमता बढ़ाया गया । इसके साथ ही माह में किये कार्यो की समीक्षा की जाती है और जो कार्यो में चुनौती आ रहे है उसे कैसे निपटा जाये उसके लिए रणनीतिक योजना बनाकर कार्य किया जाता है ।

अन्य संस्थायो के साथ नेटवर्किंग मीटिंग –

जिला स्तर के अन्य संस्थायो के साथ महिला और भूमि की रिश्ता को लेकर 2 बार मीटिंग किया गया जिसमे महिला और भूमि की कांसेप्ट पर समझ विकसित किया गया । इस मीटिंग में जिला स्तर के 5 संस्थायो ने भाग लिया । एक समानांतर समझ बनाया गया कि यदि हम भूमि/ जमीन के मुद्दे पर कार्य कर ही रहे तो क्यों हम महिला को भूमि के साथ जोड़कर कार्य की जाये जिससे समाज में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सके ।

विभागीय इंटरफेस मीटिंग –

लोक आस्था सेवा संस्थान जिला स्तर पर विभिन्न कमिटी में शामिल है और विभिन्न कमेटी द्वारा होने वाली मीटिंग के माध्यम से विभाग के साथ मुद्दे पर चर्चा करना तथा ग्रामीण स्तर की समस्यायों को चिन्हांकित कर मुद्दे की निराकरण के लिए विभाग के साथ बातचीत करना और समस्यायों पर हल करवाना । इस मीटिंग के माध्यम से योजनायो को ग्रामीण स्तर तक पहुँच बनाना , समुदाय की डर ,झिझक को दूर करना और उन्हें लीडरशिप की भूमिका में लाना ।

विभिन्न सरकारी विकास योजनायो लाभान्वित करने हेतु सहयोग करना

No.	Name of Scheme	No. of Beneficiary
1	New Ration Card (PDS)	31
2	Name add in Ration Card (PDS)	110
3	Starting Pension amount after application submitted to Panchayat	23

4	Application Submitted to Panchayat for Pension scheme	22
5	PM Kisan Nidhi KYC updated	11
6	Registered under AAyusman card	439
7	Shram Card	54
8	Land Leveling	22
9	Mahtari vandan yojna	421

संस्था मे बोर्ड सदस्य लता नेताम जो कि संस्थान की मुख्याकार्यकारी /सचिव के पद पर रहकर पूरा समय कार्य कर रही है जिसका संस्थान से परियोजनगत कार्यों से मानदेय राशि प्राप्त करती है जिसे आयकर रिटर्न मे 10B मे जानकारी भी दी जाती है ।

जिला स्तर पर बने विभिन्न कमेटियो में लोक आस्था सेवा संस्थान के साथियों को शामिल किया गया है

1. सखी वन स्टाफ सेंटर (महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद) की संचालन कमिटी जिला गरियाबंद – सदस्य
2. जिला पंचायत में वर्किंग ग्रुप में सदस्य – जिला पंचायत गरियाबंद
3. अध्यक्ष – (लता नेताम -लोक आस्था सेवा संस्थान) जिला स्तरीय कार्य स्थल पर सेक्सुअल ह्रासमेंट कमिटी जिला गरियाबंद
4. पूर्व जेल निरिक्षण टीम , किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत जिला गरियाबंद
5. पूर्व जिला स्तरीय बाल मित्र कमिटी , जिला गरियाबंद

FINANCIAL STATEMENT

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN, GARIYABAND (C.G)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET as on 31-03-2024

LIABILITIES		Rs	ASSETS	Rs
CORPUS FUND		39,000.00	**FIXED ASSETS**	
			LOCAL ACCOUNT	31,217.00
			FC A/C	33,072.00
GENERAL FUND				
Opening Balance	4,60,248.30		Project Receivable 22-23	7,19,061.00
Less: Excess of Expenditure	77,064.85		Project Receivable 23-24	5,74,632.00
over Income		3,83,183.45	TDS Receivable	12,000.00
F.C.ACCOUNT			Advance	35,000.00
Opening Balance	3,82,961.70			
Add: Excess of Income			**Clossing Balance**	
over Expenditure	11,03,820.76	14,86,782.46	Cash & Bank Balance -FC	14,53,710.46
Project Payable Childline		7,19,061.00	Cash & Bank Balance -LC	3,43,966.45
Project Expenses Payable		5,74,632.00		
TOTAL RUPEES		**32,02,658.91**	**TOTAL RUPEES**	**32,02,658.91**

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR:LOK ASTHA SEWA SANSTHAN
GARIYABAND

PRESIDENT

SECRETARY

PLACE:RAIPUR
Date: 30/05/2024

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN Reg.No.-10377 Darrapara, Gariyaband (C.G)

FOR:JAIN M PRASAD & CO.
Chartered Accountants

(PRAKHAR JAIN)
Partner
M.No.441616
UDIN-24441616BKCEUT1256

Jain M. Prasad & Co. Raipur (C.G.) Chartered Accountants

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN - PARAGAON , POST - MARODA , DIST. - GARIYABAND
CONSOLIDATED INCOME&EXPENDITURE ACCOUNT
For the Period 1 April 23 to 31 March 2024

EXPENDITURE	Amount	INCOME	Amount
Expenditure- FC	31,29,677.00	Grant & Donation Received -FC	42,13,312.00
Expenditure- LC	6,87,182.85	Grant & Donation Received -LC	36,620.00
Bank Charges	4,755.24		
Depriciation	17,554.00	Bank Interest -FC	36,582.00
Written off	6,610.00	Bank Interest-LC	11,389.00
Excess of Income Over Expenditure	10,26,755.91	Grant Receivable	5,74,632.00
	48,72,535.00		**48,72,535.00**

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR:LOK ASTHA SEWA SANSTHAN GARIYABAND

PRESIDENT SECRETARY

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN * Reg.No.-10377 * Darrapara, Gariyaband (C.G)

PLACE:RAIPUR
Date: 30/05/2024

FOR:JAIN M PRASAD & CO.
Chartered Accountants

Jain M. Prasad & Co. * Raipur (C.G.) * Chartered Accountants

(PRAKHAR JAIN)
Partner
M.No.441616
UDIN-24441616BKCEUT1256

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN - PARAGAON , POST - MARODA , DIST. - GARIYABAND
CONSOLIDATED RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT
For the Period 1 April 23 to 31 March 2024

Receipt	Amount	Payment	Amount
Opening Balance		Expenses Program & Admin - FC	31,34,432.24
Cash & Bank Balance -FC	3,38,248.70	Expenses Program & Admin- LC	1,12,550.85
Cash & Bank Balance -LC	4,30,508.30	Loan & Advance Payment -LC	25,000.00
Grant & Donation Received -FC	42,13,312.00		
Grant & Donation Received -LC	44,604.00		
Tax Refund	6,360.00	**Closing Balance**	
Bank Interest -FC	36,582.00	Cash & Bank Balance -FC	14,53,710.46
Bank Interest-LC	45.00	Cash & Bank Balance -LC	3,43,966.45
	50,69,660.00		**50,69,660.00**

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR:LOK ASTHA SEWA SANSTHAN GARIYABAND

PRESIDENT

SECRETARY

FOR:JAIN M PRASAD & CO.
Chartered Accountants

(PRAKHAR JAIN)
Partner
M.No.441616
UDIN-24441616BKCEUT1256

PLACE:RAIPUR
Date: 30/05/2024

President /Secretary

Lok Astha Sewa Sanstha: